सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 72/18 **निर्णय दिनांक 18.06.2019**

1. सन्तोष पुत्री अर्जनराम जाति बिश्नोई निवासी मोडायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. अर्जुनराम पुत्र नेनूराम जाति बिश्नोई निवासी मोडायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. सुआ पुत्री अर्जुनराम जाति बिश्नोई निवासी मोडायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 26—07—2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भरत कुमार परिहार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 26—07—2018 जिसके द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पूर्व प्रसारित आदेश में संशोधन करते हुए पुनः आदेश प्रसारित किये गये, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र बाबत् धोषणात्मक, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि चक 5 एमडीएम तहसील बज्जू के मुरब्बा नम्बर 162/11, 162/4, 162/12, 162/20, 162/05, 142/61 की 34 बीघा 9 बिस्वा व चक 9 एमडीएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 183/06 व 183/14 व 183/38 में कुल 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि नेनूराम की पुश्तैनी भूमि है उक्त भूमि पुश्तैनी होने के नाते अपीलांटा का उक्त पुश्तैनी भूमि पर हिन्दु उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के मुताबिक बाई बर्थ 1/3 हिस्सा निहित है। इसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 21—08—2017 को स्वीकार करते हुए मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये।

तत्पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर जवाब आदि प्रस्तुत होने पर दिनांक 26—04—2018 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की बहस सनने के पश्चात् ताफैसला वाद वादाधीन भूमि विक्रय नहीं करते के आदेश प्रसारित किये गये। इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम आदेश हो चुका था व दिनांक 20—07—2018 को उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ऋण व रहन नहीं रखने का संशोधित आदेश पारित किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि दिनांक 26—07—2018 को अपीलांट को सुने बिना कोई नोटिस व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना किसी प्रार्थना पत्र के सूओ—मोटो पूर्व प्रसारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का यह कृत्य कानून की परिभाषा में गरिमापूर्ण आदेश नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान किये बिना अपने पूर्व प्रसारित आदेश में संशोधन किया गया है। जिससे स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। चूंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट का बाई बर्थ अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दोनों पक्षों की सहमति से वादग्रस्त भूमि को ताफैसला वाद विक्रय नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्या परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई कि उन्हें अपने पूर्व प्रसारित आदेश में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना संशोधन करना पड़ा। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 5 एमडीएम तहसील बज्जू के मुरब्बा नम्बर 162/11, 162/4, 162/12, 162/20, 162/5, 142/61 की 34 बीघा 19 बिस्वा व चक 2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 183/6 व 183/14 व 183/38 में 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वयं की खातेदारी भूमि है। जो उसे मामकंवरी पत्नी नैनूराम द्वारा जरिये उपहार दिनांक 20—02—2012 को प्राप्त हुई है। अपीलांट द्वारा मात्र लोगों के बहकावे में आकर रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से बेबुनियाद तरीके से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दोनों पक्षों की सहमति से वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को विक्रय नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये थे। तत्पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व प्रसारित आदेश में संशोधन करने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20—07—2018 को पूर्व प्रसारित स्थगन आदेश में संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा पत्रावली प्रार्थना पत्र बहस में रखी गई।

तत्पश्चात् दिनांक 26—07—2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि अनुसार पारित किया गया आदेश है। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। यह तथ्य तमाम रिकार्ड से साबित है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—07—2018 के विरूद्व अपी 19—12—2018 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना सुओ—मोटो पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाकर अपील मियांद शुमार धोषित की जाती है।

हस्तगत् मामलें में अपीलाधीन प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की सहमति से दिनांक 26—04—2018 को निस्तारित कर दिया गया जिसमें दोनों पक्षों को विवादित भूमि विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रकरण का एक बार अंतिम रूप से निस्तारण करने के उपरान्त यदि किसी पक्षकार द्वारा पुनः सुनवाई/समीक्षा की मांग की जाती है तो लिखित प्रार्थना पत्र पेश होने पर अन्य पक्षकारों को सूचित करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही करनी चाहिए, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने किसी पक्षकार द्वारा लिखित दरखवाश्त प्राप्त किये बिना दिनांक 20—07—2018 को पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई। आदेशिका में दरखवाश्त पेश होने का कोई उल्लेख है परन्तु पत्रावली में ऐसा कोइ

दस्तावेज नहीं है तथा न ही अप्रार्थीगण को सूचित करने का उल्लेख है। न्यायालय ने एकतरफा सुनवाई करना बताकर पूर्व में पक्षकारों की सहमति से जारी स्थगनादेश में मनमाना संशोधन कर दिया। उक्त आदेश के बाद प्रकरण पुनः दिनांक 26—07—2018 को मिसल सुनवाई हेतु नम्बर पर ली गई तथा प्रकरण के संबंध में पूर्व में दिये गये आदेशों का उल्लेख किये बिना एकतरफा तौर पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी की उक्त कार्यवाही से जाहिर होता है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया तथा कानून के प्रावधानों का सामान्य ज्ञान भी नहीं है, या उन्होनें स्वयं का दिमाग काम में लिये बिना किसी अन्य पक्षकार के निर्देशन में कार्य किया है। पीठासीन अधिकारी का यह निर्णय न्यायालय की गरिमा को कम करने वाला एवं हास्यास्पद है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—07—2018 को निरस्त किया जाता है तथा मूल वाद के निर्णय होने तक विवादित भूमि के विक्रय या अन्तरण पर रोक लगाई जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.0602.10 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर